



UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860
Registration No. S-29394 of 1996
Registration No. 136230098 under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976
Exempted Income Tax No. 58-59/36/80G/Tech/Allid/2002-2003
NATIONAL N.G.O.

Uttar Pradesh Office :
Dr. KAUSHAL KUMAR
18-A, Auckland Road, Civil Lines
Allahabad-211001 (U.P.) INDIA
Tel.: 0532-2615847
0532-2420454, 2552226 (O)
Mobile : 9335154677
Fax : 0532-2420984, 2552112

Madhya Pradesh Office :
DAYA SHANKAR MISHRA
12/32, Amahiya
Rewa- 486001 (M.P.)
Phone : 07662-241001

Chattisgarh Office :
DHARMESH DUBE
Sakari, District Bilaspur
Chattisgarh
Phone : 07752-283317

Dr. D.N. Tewari
PRESIDENT

Dr. Kaushal Kumar
GENERAL SECRETARY

Ref. Utthan/13/BTC/33

Date... 08/06/13

To,

The Regional Director,
Northern Regional Committee,
National Council for Teacher Education
20/198, Kaveri Path, Near Mansarovar Stadium,
Mansarovar, Jaipur, Rajasthan

Subject: Regarding the clarification of deficiencies

Ref No: F.No. NRCAPP-4910/D.El.Ed.(Co. Ed)/UP/DLI/2013-14/45737

Respected Sir,


This letter is in the response of the letter dated 27 May 2013 Ref No. F.No. NRCAPP-4910/D.El.Ed.(Co. Ed)/UP/DLI/2013-14/45737 in which the deficiency in some of the points were pointed out.

The deficiencies which have been pointed out and its clarifications are mentioned below:

Deficiency No. 1. The institute is running some technical course (B.TECH., B. PHARM, M.PHARM, M.B.A.) hence the institution is required to submit earmarked area of land and building plan.

Clarification Against Deficiency: Earmarked area of land and building plan of Shambhunath College of Education is attached. The other institutions of Shambhunath Group of Institutions; Shambhunath Institute of Engineering and Technology (SIET) and Shambhunath Institute of Pharmacy (SIP) are situated at two other locations on different plots. There is no connection between the earmarked area of land and building of Shambhunath College of Education (SCE) with any other institution of the society. The mentioned plot nos. 89, 90 and 91 are exclusively for Shambhunath College of Education. (Annex. No. 3)

Deficiency No. 2. The name of the society is mentioned in the registration certificate of the society is not matching with application form.


Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001


Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Correspondence Address : 18-A Auckland Road, Allahabad - 211001 (U.P.)

Clarification Against Deficiency: I have filled the short name of the society as Utthan in the online application form. The full name is Utthan-Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation. For further references the bi-laws of the society is attached herewith. (Annex. No. 4)

Deficiency No. 3. Originally notarized change of land use (CLU) certificate issued by S.D.M. under section 143 of UP Land Act is not submitted.

Clarification Against Deficiency: Originally notarized change of land use (CLU) certificate issued by S.D.M. is attached. (Annex. No. 5)

Deficiency No. 4. The institution is required to submit an affidavit of Rs. 100/= stamp paper as per the format enclosed in support of information required as per clause 8(2), 8(3) and 8(7) (ii) of the NCTE regulations 2009 and page 4 and 5 of the online application form.


Clarification Against Deficiency: Along with this clarification form an affidavit of Rs. 100/= stamp paper as per the format which was enclosed is attached with this letter.

I removed all the deficiencies which have been pointed out. With this reply letter I have attached an Affidavit in support of the reply of the points in which deficiencies were found. In support of some points Annexure are attached.

All the necessary documents/proofs have been attached with the compliance.


Please do the needful.

Yours Faithfully



(Dr. Kaushal Kumar)

Secretary, Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation, Allahabad


Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 115481

Dr. Kaushal Kumar son of Late S. N. Tewari and aged about 62 years resident of 102B/3 Beniganj, Allahabad, U.P and Secretary of the Society i.e. Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad which is Registered vide Regd. No. S-29394 dated 10, April 1996 and the same is established and operated for 'not for profit' under Societies Act XXI of 1860 (copy attached, Annex. No. 1), an application vide No. NRCAPP4910 to the Northern Regional Committee of the National Council for Teacher Education at Jaipur, Rajasthan seeking grant of recognition for D.El.Ed. course, do hereby solemnly affirm and state as follows:-



1. That the society Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad has passed a resolution on dated 27 December 2012 for submitting the application for recognition of D.El.Ed. course in the name of Shambhunath College of Education with intake under Section 14/15 of the NCET Act, 1993. to the NRC, NCTE and as per this resolution the institution has submitted this application NRC APP No. NRCAPP4910 (2013-14). (A copy of the resolution is attached Annex. No. 2).
2. That Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad has applied for only one course for the basic unit on the land for which land documents have been submitted with this application NRCAPP4910 (2013-14), as per clause 8(2) of the NCTE Regulations, 2009. Also there is no application is pending with the NRC for decision and no other application submitted by the Society with the said application in the NRC, NCTE, Jaipur, Rajasthan.

1
 Secretary
 Utthan-Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

K.Kaushal
 Secretary
 Utthan-Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

3. That the land & building of the institution for the proposed teacher training programme with this application i.e. NRCAPP NO. NRCAPP4910 (2013-14) are exclusively meant for running the proposed teacher education programme ie. D.El.Ed. and the institution has a well demarcated land area as specified by the norms. All the documents submitted by the institution with this application concerning the land & building are duly verified by the Govt. approved officials/local body. No other institution shall be allowed within its demarcated area or building and shall not have any other course(s) in its building as per clause 8 (7) (ii) of the NCTE Regulations, 2009. The land of the institution for which land documents has been submitted is free from all encumbrances.
4. That the details/information of existing teacher education programme/courses and details of programmes other than Teacher Education given by the institution at page No. 2 of the said application (NRC APP No. NRCAPP4910) are true and no details/information have been concealed by the Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad.

I do hereby swear that the above contents of the Affidavit are true and correct and in case they are found to be false or incorrect, the Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad shall be liable for civil and criminal action under the relevant provisions of the Indian Panel Code and other relevant laws.



Signature: *K.Kaushal*

The document before me is/are the contents of the document has been executed by the executant who admitted the same to be true is hence the document attested.
 R.B. SINGH
 Notary
 Allahabad

Name of the Applicant: *Dr. Kaushal Kumar*
 Address: 102B/3 Beniganj, Allahabad, U.P

R.B. Singh
 R.B. Singh
 Advocate Notary
 Allahabad

2
 Secretary
 Utthan-Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

संख्या- 2744

दिनांक 26/09/2012



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण - पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या 995 / 2012-13

फाइल संख्या AL-15428

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप पांकी रानी विस्खान 18 र

जालौंडा रोड, अलाहाबाद को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1242 / 02-03

दिनांक 25-09-02 को दिनांक 25-09-12 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 23.09.2012

Secretary
Uttaran-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 3351
30/10/12



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 507 / 2007

फाइल संख्या AL-15428

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल

डेवलपमेंट ग्रुप पांकी रानी विस्खान 18 र जालौंडा रोड

अलाहाबाद को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1242 / 02-03

दिनांक 25-09-2002 को दिनांक 25-09-2007 से 5 वर्ष

के लिए नवीकृत किया गया है।
1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 29-10-2012

Secretary
Uttaran-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।
Secretary
Uttaran-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

संख्या 3753 प्रावसी सं-1 A1-15-4/9 दिनांक 25-8-22



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1242-2002-2003

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तम लोन्टर फार्

सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिलीफ एक्ट, 188

इलाहाबाद रोड, इलाहाबाद

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र तब तक विधिवान्वय होगा।

आज दिनांक पच्चीस अक्टूबर दो हजार दो को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
Secretary
Uttan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
उत्तर प्रदेश
25.9.22

स्मृति पत्र

संस्था का नाम : उत्तम लोन्टर फार् सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिलीफ एशन

संस्था का पता : 10 ए आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद (उ०प्र०)

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

उद्देश्य

- (1) संस्था के अन्तर्गत पर्यावरण/ग्रामीण/नगरीय विकास/महिला वरती सुधार कार्यक्रम का संचालन करना, रोजगार पूरक (कम्प्यूटर आदि) प्रशिक्षण देना तथा स्वतः रोजगार स्थापित कराके स्वावलम्बी करना।
- (2) महिला-बाल विकास हेतु उं फेंयर सेंटर, हस्तकला (गाढ़ाई, बुनाई, मूज के समान बनाना आदि) स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर आदि) शिक्षण की व्यवस्था करके आत्म निर्भर बनाना तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। बच्चों का बचपन लौटाने के लिये उनके मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व साहसिक कार्यक्रमों के लिये विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन करना।
- (3) शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों/युवकों/प्राइमरी आत्म निर्भर बनाने के लिये शिक्षण, स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण निःशुल्क चिकित्सा पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करना।
- (4) अनाथ, अर्ध-अनाथ, अपाहिज एवं सकारक रोगों से ग्रस्त निराश्रित लोगों को चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना।
- (5) स्वरोजगार पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- (6) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को संपादित करना इसके लिये धरिटेबिल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केंद्र इत्यादि की व्यवस्था करके आर० सी० एच० प्रोग्राम, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व उपचार तथा प्राकृतिक परिवार कल्याण इत्यादि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।



Secretary
Uttan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

- (5) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता रक्षा, कानूनी सलाह, यथुया मजदूर उन्मूलन, दहेज उन्मूलन मद्यनिषेध, गाँवों को सामान्यता का आधिपत्य, पंचायती राज शासन द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित समस्याओं के निदान के लिये व योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- (7) केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विपणन तथा उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा परीक्षण का कार्य करना।
- (8) यदती यथयावृत्ती को रोकने का प्रयास करना इस कार्य में लिप्त लोगों के पुनर्वास शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा एड्स के प्रति जागरूक करना।
- (9) पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, जन-जागरण अभियान, शौचालय/सामुदायिक नालवेला निर्माण, स्वच्छ जल आपूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण क्रियान्वयन करना।
- (10) समाज के निर्धर एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीणोद्योग बोर्ड/खादी तथा ग्रामीणोद्योग आयोग संचालित कार्यक्रमों को स्थापित एवं सफल बनाने का प्रयास करना। जिसमें खादी तथा ग्रामीणोद्योग का उत्पादन तथा विपणन करना इसकी सहायता देने वाली पाणिन सरथा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं धरिटेविल कार्य में सहायता देना। खादी ग्रामीणोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को बेरोजगार का अवसर प्रदान करना।




Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

Sudh Tripathi
Kamaua Tiwari

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

- (13) विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाना, तकनीकी पर आधारित कम लागत में भवन/आवास, कृषि यंत्रों/दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण, प्रशिक्षण व्यवस्था करना व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानान्तरण का प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।
- (14) मौन पालन/पशुपालन/मत्स्य पालन के बारे में लोगों को अवगत कराना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मत्स्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना तथा मत्स्य पालन के लिये तालाबों का गद्दा सम्बन्धित विभाग से करवाने का प्रयास करना। मत्स्य पालन एवं उसकी आय से उद्देश्य पूर्ति, चेरिटेविल कार्य व सामाजिक कार्य करना।
- (15) आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करना तथा उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करना।
- (16) समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि/केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा धलाई जा रही है योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये (सेतु) का कार्य करना। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय)
- (17) विद्यालय, बचनलय, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, ऑल्ड-एज होम गौशाला इत्यादि का निर्माण करना तथा व्यवस्था करना।
- (18) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, महाविद्यालय इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा जन शिक्षण संस्थान की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धन छात्र-छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके लिये प्रतिथोगी पाठशाला, मदरसा आदि की व्यवस्था करना। सभी के लिये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।



Sudh Tripathi
Kamaua Tiwari

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

(19) संस्था का मुख्य उद्देश्य गैर लागूकारी (घेरिटेविल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक कार्य पर व्यय करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु सरकारी अर्द्ध सरकारी रचनात्मक संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों से दान-अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना तथा उनका उपयोग संस्था के उद्देश्य पूर्ति में करना।

(20) कार्यक्षेत्र में विज्ञान, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास करना एवं श्रमिक, महिला दलित, आदिवासी समुदाय, युवकों व यक्षों को शैक्षिक, सामाजिक सांस्कृतिक चारित्रिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाना तथा उनके क्रियान्वयन हेतु कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संस्था की शाखाओं, केन्द्रों, संस्थाओं को खोलना तथा चलाना।

(21) कार्यक्षेत्र में ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, आदर्श प्रदान करना। इसके लिये ग्रामीणों की आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना निःशुल्क साहित्य उपलब्ध कराना।


(22) व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, शिक्षा, प्रचार-प्रसार के लिये केन्द्रों को खोलना तथा प्रयोग करना। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(23) र्वैधिक संस्थाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहयोग करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, साहित्य उपलब्ध करना एवं अनुसंधान कार्य करना।

(24) इस्तकला प्रशिक्षण (कढ़ाई-धुलाई, मूँज के समान इत्यादि) के द्वारा रोजगार को अवसर प्रदान करना।

(25) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैसे इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पर्यावरण, एग्रीकल्चर, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल साइन्स डेवलपमेन्ट आफ रिकल्स (आर्ट, काफ्ट, मोट, मेकेनिक, वेल्डिंग) में सर्टीफिकेट लेवल, एवं डिग्री एव मास्टर डिग्री लेवल कोष का द्वि-ए संस्थान/घातेला को स्थापना करना।

(26) एग्रीकल्चर, हार्डवेयर, फार्मेसी, इन्टरमीडियेट, शास्त्री एव ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विकास से सम्बंधित योजनाओं पर कन्सल्टेन्सी तथा शिक्षा एवं ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करना।




Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

- (27) उपरोक्त धार्यों को लिए सरकारी, अर्द्ध सरकारी, इन्टरमीडियेट तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों संस्था के हित के लिए उपयुक्त हो से कितीय सहायता प्राप्त करना।
- (28) वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 1860 के अन्तर्गत निहित है।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का कार्य परामर्श के लिये पदाधिकारियों के नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।



क्र.सं.	नाम	पुत्र	पता	व्यवसाय	पद
1	डा. श्री. विपरीत	रघु पी. पी. त्रिपाठी	16 ए आर्केलेण्ड रोड इलाहाबाद	राज्य योजना आयोग भारत सरकार।	अध्यक्ष
2	डा. सुरेश कुमार	रघु एन. एन. त्रिपाठी	पी/304 स्वामीजी नगर-नी, धारापट्टी	भारत सरकार।	उपाध्यक्ष
3	डा. काशी प्रसाद	रघु रामू नाथ	102 पी/3 वेनीमज इलाहाबाद	सामाजिक सेवा	सामने K.K. Leela
4	डा. आर. त्रिपाठी	पद्मी आशुतोष त्रिपाठी	52 ए जवाहर लाल नेहरू रोड इला.	गृहणी	समुदाय सचिव
5	राम आनंद यादव	रघु एन. एन. यादव	7/2 रामू स्टेट इलाहाबाद	नौकरी	सदस्य
6	कामना त्रिपाठी	धीरेन्द्र कुमार	109 ए/2 वेनीमज इलाहाबाद	गृहणी	सदस्य
7	राकेश कुमार	पुत्र चन्द्र प्रसाद शुक्ल	धर्मिय बेजरा प्रसादपद	नौकरी	सदस्य

हम निम्न लिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के 21 ए 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

12/... Anil Tripathi, K.K. Leela, Surinder Kumar

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

निर्मावली पत्र

संस्था का नाम : उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट
एण्ड पावर्टी एलीविएशन
संस्था का पता : 18 ए'आकलैण्ड रोड,
इलाहाबाद (उ0प्र0)
कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत



संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो तथा संस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो, सक्षम हो, नियमावली के अनुरूप आचरण के योग्य हो, संस्था के सचिव के नाम सदस्यता हेतु लिखित आवेदन करके सचिव की संस्तुति के पश्चात संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सभी सदस्य को रू0 10/- पंजीकरण शुल्क (केवल एकवार) आवेदन पत्र के साथ देना होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नए सदस्य बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्य:-

(क) जो व्यक्ति रू0 10,000/- नगद या चल/अचल सम्पत्ति एक मुश्त मान देगा। वही संस्था का आजीवन संस्थापक सदस्य बन सकता है। इसके लिए भी सचिव की संतुष्टति आवश्यक है।

(ख) सभी संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। उनके त्याग पत्र देने या मृत्यु होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति उनका वैधानिक उत्तराधिकारियों में से सचिव/प्रबन्धकारियों के अनुमोदन पर घयन किया जाएगा।

(ब) आजीवन सदस्य:

जो संस्था को रू0 5000 (पांच हजार मात्र) एक मुश्त चल/अचल सम्पत्ति या नगद धनराशि देगा, उसे सचिव व प्रबन्धकारिणी का संस्तुति पर आजीवन सदस्यता प्रदान की जायेगी।

12/ _____
Anil Tripathi, Kklewadi
Secretary
Uttaran-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

(स) सामान्य वार्षिक सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था 24/- प्रति वर्ष या रू0 2/- मासिक देने पर संस्था की साधारण वार्षिक सदस्यता प्रदान किया जायेगा।

(द) विशेष सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था के हित में कार्य करेगा, उसे सचिव द्वारा मनोनीत करके विशेष सदस्यता प्रदान किया जायेगा। इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। किसी भी स्थिति में इनकी संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। इसमें 6 सदस्य शैक्षिक स्वयंसेवी संस्थाओं से एक महिला, एक अनुसूचित जनजाति/विछड़े वर्ग से लेना आवश्यक है। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(e) सदस्यता की समाप्ति:-

(क) मृत्यु होने पर, पागल, कोढ़ी, दिवालिया होना जाने पर, न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य में दंडित होने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण बताये अनुपस्थित रहने पर, तीन माह तक लगातार शुल्क नहीं जमा करने पर, त्याग पत्र देने पर या प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) संस्थापक सदस्यों/आजीवन सदस्यों की सदस्यता, मृत्यु होने पर या स्वतः त्याग पत्र देनपर समाप्त होगी।

(3) संस्था के वर्ग:-

(क) साधारण सभा
(ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(7) साधारण सभा:-

(अ) बैठक: संस्था के सभी सदस्यों (संस्थापक, संस्थापक सदस्य, सामान्य वार्षिक सदस्य एवं विशेष सदस्य) को लेकर साधारण सभा गठित जायेगी।

(ब) बैठक: साधारण सभा की बैठक कार्य में एक बार आगोजित किया जायेगा। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन पर या 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर बुलाई जायेगी।

12/ _____
Anil Tripathi, Kklewadi
Secretary
Uttaran-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

(स) सूचना अवधि: साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 48 घंटा पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(द) गणपूर्ति : कुल सदस्यों का 2/3 गणपूर्ति मांगी जायेगी। प्रथम सूचना प्रसारित होना यदि गणपूर्ति नहीं होती तो सचिव द्वारा दूसरी सूचना भेजकर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें उपरिथत सदस्यों को ही गणपूर्ति (कोरम) मान लिया जायेगा।


(ए) विशेष वार्षिक अधिवेशन : संस्था एक विशेष वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगी। जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी द्वारा निश्चित की जायेगी।

(छ) साधारण सभा के कार्य : प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना वार्षिक रिपोर्ट, बजट का अनुमोदन करना, नियमावली, स्मृतिपत्र में संशोधन करना। अन्य उन सभी विषयों पर निर्णय लेना, जिस पर प्रबंधकारिणी समिति निर्णय नहीं ले सके।

7. प्रबंधकारिणी समिति :

(अ) गठन: साधारण सभा के द्वारा ही प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव होगा। जिसमें पदाधिकारी व सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 7 से अधिक नहीं होगी। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष (एक)
2. सचिव (एक)
3. सचिव (एक)
5. कार्यकारिणी सदस्य (तीन)



संस्था की प्रबंधकारिणी के लिए संस्थापक सदस्य, आजीवन सामान्य तथा विशेष सदस्यों में एक-एक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। अजीवन/विशेष सदस्य उपलब्ध नहीं हान का स्थिति में उसकी पूर्ति संस्थापक/सामान्य सदस्यों में से किया जायेगा।

(ब) बैठक: प्रबंधकारिणी की सामान्य बैठकों का आयोजन वर्ष में तीन बार होना आवश्यक है। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।

121
Anti Tripartite K.K. Kulkarni
Bijendra Kumar
Kawana Tiwari
Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

(स) सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी की सामान्य बैठकों की सूचना 5 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घंटा पूर्व प्रसारित करना आवश्यक है।

(द) गणपूर्ति (कोरम) : कुल पदाधिकारियों एवं सदस्यों का 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति(कोरम) मानी जायेगी। प्रथम बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर सचिव तीन दिन के भीतर पुनः बैठक बुलायेगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या को ही कोरम माना जायेगा।

(घ) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबंध कारिणी समिति में हुए आकिस्मक रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी के वर्ग के सदस्यों द्वारा या उसी वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य सदस्यों में से, ~~संस्था~~ द्वारा किया जायेगा। जिसका अनुमोदन चार माह के भीतर प्रबंधकारिणी/साधारण सभा द्वारा होना आवश्यक है।



- (1) समिति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति व.र.।।, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना, संचालन करना व प्रबंध करना।
- (2) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए वैतनिक/अवैतनिक कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (3) आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को बढ़ाने व सदस्यता समाप्त करने आदि का नियंत्रण करना। संस्था के वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना/अनुमोदन करना। संस्था के वित्तीय सहायकों को जुटाना। चल-अचल सम्पत्ति का संग्रह करना। दान लेना व देना। निर्माण करना कच-विस्थापन करना व अपनी संस्था की शाखाओं व केंद्रों की स्थापना सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

121
Anti Tripartite K.K. Kulkarni
Bijendra Kumar
Kawana Tiwari
Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

(ब) धन उपलब्ध होने पर सचिव/किसी सदस्य/पदाधिकारियों का भानदेय निर्धारित करना। कार्यक्रमों का संचालन करना तथा निर्णय लेना आय-व्यय के आर्थिक संसाधनों को बचाना आदि।

(झ) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। प्रत्येक पदाधिकारी/सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक होगा। विशेष परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन पर कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

9. मताधिकार:- सभी प्रकार के सदस्यों (संस्थापक/आनीमान/विशेष सहयोगी/सामान्य) को मत देने का अधिकार होगा।

10. संस्था के आय के स्रोत :-

संस्था के आय के निम्न लिखित स्रोत हैं।

1. दान, अनुदान, द्वारा एकत्रित आय।
2. सदस्यता शुल्क से अर्जित आय।
3. शरणा के आर्थिक सहायता से अर्जित आय।
4. व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि से प्राप्त अनुदान।
5. घल-अघल सम्पत्ति से अर्जित आय।
6. ग्राम पंचायत/ब्लाक/जनपद/प्रदेश स्तर भारत सरकार/विदेशी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान।



7. प्रदेश सरकार, भारत सरकार, स्थितिक संस्थाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त आय।

8. संस्था के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों/अनुभागों, वित्तीय निगमों, अकादमियों स्वायत्तशापी संस्थाओं बोर्डों, निगमों शिक्षा विभागों, प्रौढ शिक्षा, निदेशालय, राज्य समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कॉर्पोरेंट, यूनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खासगी समारोहों तथा विस्तृत योजनाओं से अर्जित आय जो दान/अनुदान या ऋण, के रूप में प्राप्त हो।

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Auti Tripartli
KK Khera
Kamran Tisari

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

9. इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम से प्राप्त आय।

11. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य:-
1. अध्यक्ष :-

इसका चुनाव/संस्थापक/विशेष सहयोगी सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।

कार्य : सचिव की संस्तुति पर समस्त प्रकार के बैंकों की तिथि का अनुमोदन करना/स्थगन/निरस्तीकरण करना। आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर बराबर-बराबर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग करना, जो एक निजी मत के अतिरिक्त मत होगा।

2. उपाध्यक्ष :-

इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

कार्य : अपने अधिकारों का उपयोग करना। अध्यक्ष को लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

3. सचिव :-

इसका चुनाव केवल संस्थापक सदस्यों में से होगा। जिसे सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। यह प्रत्येक समितियों का पदेन सचिव होगा।

यह समिति व उसके द्वारा संगठित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाएगा।

संस्था के विभाग विद्यालय प्रशासन योजना व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं के सचिव/मंत्री या प्रबन्धक/संस्थापक, निदेशक को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Auti Tripartli
KK Khera
Kamran Tisari

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

4. समस्त प्रकार की वित्तीय सहायता दान अनुदान चान्द आदि निधियों को प्राप्त करना व उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करना। आय-व्यय का मदवार तिथिवार लिखना वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, आडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।
5. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दस्तावेजों व शर्तनामों पर संस्था को प्रधान की हस्तियत से हस्ताक्षर करना।
6. समस्त प्रकार के सदस्य बनाना उनका रिकार्ड रखना जिन सदस्यों द्वारा शुल्क राशि जमा करायी गई वो उनका नाम सदस्यता सूची से हटाना।
7. संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
8. संस्था का प्रतिनिधित्व समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यवाहियों में करना या विरही को भेजना।
9. संस्था के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर आवश्यक दस्तावेजों आदि को तैयार करना व उन्हें प्रमाणित करना।
10. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना व प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत करना।
11. संस्था का प्राप्त धन संस्था के खाते में जमा करना व अपने हस्ताक्षरों से निवारासना आदि। यदि शासन के किसी नियम या योजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होना अनिवार्य होगा, तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी/सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
12. संस्था द्वारा अथवा विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।



13. संस्था के वार्षिक प्रस्तावों को कार्यरूप प्रदान करना।
 14. संस्था के नियम उपनियम बनाना।

15. संस्था के निवेश के लिए दर सभा प्रस्ताव करना।

4. संयुक्त सचिव:


सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा, जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप में दिये गये हैं।

Auti Tripartli Kklewch
 Kamana tisau

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

5. प्रबन्धकारिणी सदस्य:-

1. इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।
2. यह सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप से दिये गये हों।
3. इसका चुनाव सामान्य विधेय आजीवन व संस्थागत सदस्यों में से होगा।
4. इनका मुख्य कार्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपना शुभाव व मत देना।
5. साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करेगा।



12. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्तन स्वीकार होगा।

13 संस्था का कोष :-

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक/पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम धरत खाता (सेविंग एकाउन्ट) खोलकर जमा किया जाएगा। जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से होगा। यदि शासन के किसी नियम या परियोजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी या सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

14. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त का लेखा परीक्षणकर्ता/वाटर्स एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर
 कार्यवाही रजिस्टर

Secretary
 Urban-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

Auti Tripartli Kklewch
 Kamana tisau



UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860
 Registration No. S-29394 of 1996
 Registration No. 130230008 under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1970
 Exempted Income Tax No. 58-59/30/BOG/Tract/All/d/2002-2003
NATIONAL N.G.O.

Uttar Pradesh Office :
 Dr. KAUSHAL KUMAR
 18-A, Auckland Road, Civil Lines
 Allahabad-211001 (U.P.) INDIA
 Tel.: 0532-2615847
 0532-2420454, 2552226 (O)
 Mobile : 9335154677
 Fax : 0532-2420984, 2552112

Madhya Pradesh Office :
 DAYA SHANKAR MISHRA
 12/32, Amahiya
 Rewa- 486001 (M.P.)
 Phone: 07662-241001

Chattisgarh Office :
 DHARMESH DUBE
 Sakari, District Bilaspur
 Chattisgarh
 Phone : 07752-283317

Dr. D.N. Tewari
 PRESIDENT

Dr. Kaushal Kumar
 GENERAL SECRETARY

Ref. UH/2005/12/ATC/02

Date: 27.12.05

RESOLUTION No. 63

It was resolved to establish a College in the name of Shambhunath College of Education at plot no. 89/0.1230, 90/0.2370 & 91/0.0400 with total area 0.4000 hectare of Village- Rahimabad, Allahabad. Utthan is allocating plot no. 89, 90 & 91 exclusively for the use of Shambhunath College of Education. The building constructed on plot no. 89, 90 & 91 exclusively used for Shambhunath College of Education.

It has also been decided to start D.E.C.Ed, D.El.Ed, B.El.Ed, B.Ed, M.Ed, D.P.Ed, B.P.Ed & M.P.Ed course with initial intake of 50 seats in each course.


For this Dr. Kaushal Kumar, Secretary, Utthan is authorized signatory as per the resolution no.25 already passed on dated 05-12-2005 meeting of executive committee.

(Signature)
 (Dr. Kaushal Kumar)
 Secretary

(Signature)
 Secretary
 Utthan-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001


Correspondence Address : 18-A Auckland Road, Allahabad - 211001 (U.P.)

Shambhunath
 College of Education



Side MAP
 Shambhunath College of Education Rahimabad,
 Pipal Gaon, Allahabad

322 नजरी नक्शा मौजा - रहीमवादी परगना व तहसील सदर उलाहाबाद



1-5/2012
1-2/05

लाल सिंह यादव
मालिक (प्रतिपक्षी)
सदर-इलाहाबाद


I before me
at P.M. in the
City of Allahabad.
I have read the contents
of the document and the
same has been read to the
executant who has stated
that the contents are true
and correct and hence the
document is valid and
correct.

(Signature)
R.B. SINGH
Notary
Allahabad



(Signature)
R.B. Singh
Advocate Notary
Allahabad

Secretary
Uttam Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211002


SECTION OF STAIR



ELEVATION



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN

AREA DETAILS		
S.NO.	DETAILS	SQ. MTRS
01	COVERED AREA ON GROUND FLOOR	1162.12
02	COVERED AREA ON FIRST FLOOR	1162.12

ALL DIMENTION IN MT.


CONSTRUCTED BUILDING MAP OF SHAMBHUNATH COLLEGE OF EDUCATION CHAK-RAHIMABAD-ARAZI NO. 00-00-01 ALLAHABAD	
OWNER: UTTAM CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION	BLOCK-A



SCALE: 1:

Secretary Uttam Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation Allahabad-211002	SECRETARY UTTAM CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION C.O.A. RAJG. NAGAR, GATE NO. 10 ALLAHABAD
SIG. OF OWNER	CHECKED BY


पञ्जाब प्रदेश, जिला इलाहाबाद, तहसील राहता, गाँव राहता, पिन कोड 201001



Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

मकल आदेश दिनांक-08/5/12
तारीख कोसला-08/5/12
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद।



वाद संख्या 30 सन 2012 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र० राज्य अधिनियम
ग्राम राहता उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेन्ट
एण्ड पावर्टी एलिविशन इलाहाबाद प्रति उ०प्र० राज्य व अन्य
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी
निर्णय
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिविशन इलाहा-
बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी नि०
102 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम राहता उर्फ पीपल
गाँव परगना व तहसील सदर की अट०सं० 1 रकबा 0-0460डे०, अट०नं०005 रकबा
1-1350डे०, अट०नं०06 रकबा 0-2790डे० व अट०नं०02 रकबा 0-4140डे० व भौज
रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की अट०सं० 89 रकबा 0-1230डे०, अट०नं०091
रकबा 1-6870डे०, अट०नं०093 रकबा 0-3990डे० व अट०नं० 94 रकबा 0-6800डे०
को आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई। तहसील के नायब तहसीलदार
दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसील सदर द्वारा
दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अग्रसारित है। पत्रवली पर उपलब्ध है।
मैंने पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। ग्राम राहता
उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उदरणा खतौनी 1418-1423फ० के खता
संख्या 653 के अट०सं० 1 रकबा 0-0460डे० व इसी ग्राम के खता संख्या 89 के
अट०सं० 5 रकबा 0-1350डे०, अट०सं०06 रकबा 0-2790डे० व अट०सं० 2 रकबा 0-
4140डे० व ग्राम रहीमाबाद के खता संख्या 6 के अट०सं० 89 रकबा 0-4630डे०
अट०सं० 91 रकबा 1-6870डे० तथा खता संख्या 7 के अट०सं० 93 रकबा 0-399डे०
व खता संख्या 40 के अट०सं० 94 रकबा 0-680डे० पर आवेदकपक्ष का नाम बतौर
संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथमतः
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।

अवेक
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम राहता उर्फ पीपलगाँव परगना
व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1418-1423फ० के खता संख्या 653
के अट०सं० 1 रकबा 0-0460डे० खता संख्या 89 के अट०सं० 5 रकबा 0-1350डे०, अट०सं०06
रकबा 0-2790डे० व अट०सं० 2 रकबा 0-4140डे० तथा ग्राम रहीमाबाद परगना
व तहसील सदर इलाहाबाद की खता संख्या 6 के अट०सं० 89 रकबा 0-4630डे०
अट०सं० 91 रकबा 1-6870डे० तथा खता संख्या 7 के अट०सं० 93 रकबा 0-399डे०
व खता संख्या 40 के अट०सं० 94 रकबा 0-680डे० पर आवेदकपक्ष का नाम बतौर
संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथमतः
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।

Secretary
Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

गणेश आदेश दि. 12/2/09

219249

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, इलाहाबाद ।
Tद संख्या 10 तनु 2009

आरा 143 उ० प्र० जमींदारी विन्याय अधिनियम ।
गाम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद ।
स्थान से न टर फार संचेनेविज्ञ डेक्लपमेन्ट एण्ड पावर्टी एक्सी क्रिये
18ए आक्सेण्ड रोड, जरा अधय डायो दोना नाय तिवारो



बनाम
सरकार
निर्णय



प्रस्तुत वाद वादी द्वारा इस कथ के साथ योजित किया गया है कि ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद को आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/0.171, 79/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 84/0.367, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 के संक्रमणीय भूमिधर है तथा मौ के पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है पिछले कई सालों से खेती नहीं की जा रही है। उपरोक्त आराजी पर शम्भूदा इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विद्यालय की इमारत खड़ी है। इस आराजी के अगल बगल भी उक्त विद्यालय की इमारत बनो है। उक्तान संस्थान द्वारा धन के विकास हेतु शिक्षण कार्य तकनीकी माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा किया जा रहा है। इस कारण शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली तहसीलदार सदर को स्थानीय परीक्षण हेतु भेजी गयी। नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया। मेने पत्रावली पर उपनय राजकीय अभिलेखों एवं नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर को स्थानीय अभिलेखीय आख्या का विधिवत परीक्षण किया। नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त आरा जियात वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त समस्त भूमियों पर कई वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक उपयोग हो रहा है। उक्त भूखंड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़बन नहीं प्रतीत होती है। जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। वृंकि भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस कारण शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़बन नहीं प्रतीत होती है।

क्रमशः - - - 2

Secretary
Utthan Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोजित को दृष्टिगत रखते हुए एवं कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/0.171, 79/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 हेतु व 79/0.171 हेतु को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो आदेश को सत्यापित प्रति उप निर्बंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। आदेश आवश्यक कार्यवाही हो पत्रावली की खिल दफतर हो।

दिनांक - 17.2.2009

अशुतोष कुमार द्विवेदी
उप जिलाधिकारी, सदर
इलाहाबाद

1170

- 1. दिनांक आदेश दि. 25/2/09
- 2. दिनांक अग्रसारित दि. 25/2/09
- 3. दिनांक अग्रसारित दि. 25/2/09
- 4. दिनांक अग्रसारित दि. 13-10-09



R.B. Singh
Advocate Notary
Allahabad

Secretary
Utthan Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

भाष्य गीत का...
भूमिधर अंकित है।

